समाहरणालय, जमुई
(जिला विकास शाखा)

अभिव्यक्ति की अभिरूचि के आधार पर जिला स्तरीय गुणवत्ता समन्वयक का (District Quality Monitor DQM) पैनल में सूचीबद्धता हेतु विज्ञापन

नगर विकास एवं आवास विभाग के संकल्प सं0--2395, दिनांक 12.05.2008 में किये गये प्रावधान के तहत राज्य के शहरी क्षेत्रों में आधारभूत संरचना के विकास एवं मुख्यमंत्री निश्चय योजना के अन्तर्गत विभाग से संबंधित क्रियान्वित कराये जा रहे विभिन्न योजनाओं की गुणवत्ता एवं प्रगति की स्वतंत्र निगरानी हेतु राज्य सरकार द्वारा सभी जिलों में सेवानिवृत प्रशासनिक एवं तकनीकी पदाधिकारियों का एक जिला स्तरीय गुणवत्ता समन्वयक **(District Quality Monitor DQM)** का पैनल गठित करने का निर्णय लिया गया है इस हेतु दिनांक...28...8..17 तक आवेदन (बायोडाटा एवं अन्य कागजातों के साथ) हाथोहाथ/डाक से समाहरणालय, जमुई अवस्थित जिला विकास शाखा, जमुई में प्राप्त किया जाएगा।

बायोडाटा प्रपत्र

1.आवेदक का नामः–
2.विभाग का नामः–
3.जिला का नाम/जहॉ के लिए आवेदक इच्छुक हैः–
4.जन्म तिथि/प्रमाण पत्र संलग्नः–
5.नियुक्ति की तिथिः–
6.सेवानिवृति की तिथिः–
7.अंतिम वेतन (1) मूल वेतन (2) वेतनमान (3) ग्रेड–पेः–
8.सेवानिवृति के समय धारित पदः–
9.पेंशन स्वीकृति की स्थितिः– (1) स्वीकृत (2) स्वीकृत नहीं (3) औपबंधिक स्वीकृत/सही चिन्ह का निशान लगायें।
10.पेंशन की स्वीकृत राशि पेंशन+मंहगाई राहत आदि (कुल जोड़कर):–
11.सेवानिवृति की तिथि या पूर्व में विभागीय आरोप/विभागीय कार्रवाई की स्थितिः–
12.आरक्षण श्रेणी–(आरक्षण संबंधी दाबा का प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना):–
13.आरोप के निष्पादन की तिथि/अधिरोपित दण्ड का विवरणः–
14.वर्तमान पता–मोबाईल नम्बर के साथः–
15.स्थायी पताः–
16.घोषणा पत्रः–(1)एतद् द्वारा मैं घोषणा करता/करती हूँ कि उपर्युक्त विवरण सही है। सूचना गलत पाये जाने की स्थिति में मेरी उम्मीदवारी संविदा नियोजन रद्द किया जा सकता है।
17.नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या–2395 पटना, दिनांक 12.05.2008 में एवं पत्र संख्या–179 दिनांक 17.07.2017 के सभी शर्ते मान्य है।

सूचीबद्धता की शर्तें

1. **DQM** में सूचीबद्ध होने के पात्र केवल वही प्रशासनिक एवं तकनीकी पदाधिकारी होगें जो न्यूनतम अपर समाहर्त्ता एवं कार्यपालक अभियंता के पद से सेवानिवृत हुए हों।
2. **DQM** का चयन 2 वर्षो के सूचीबद्धता के आधार पर किया जाएगा। उनके द्वारा सम्पादित कार्यो की समीक्षा की जाएगी। सेवा संतोषप्रद रहने पर उनकी सेवा विस्तार अगले 1 वर्ष के लिए किया जा सकेगा। कार्य संतोप्रद नहीं रहने की दशा में किसी भी समय उनकी सेवा सूचीबद्धता रद्द की जा सकेगी।

3. **DQM** को प्रतिदिन (जिस दिन भ्रमण एवं जॉच जिला पदाधिकारी के निदेशानुसार की जाती है) 1500/–रू0 मानदेय देय होगा। इस जिले के निवासी पदाधिकारी को प्राथमिकता दी जाएगी।
4. 65 वर्ष से कम आयु के सेवानिवृत पदाधिकारी ही सूचीबद्ध होने के योग्य होंगे। विस्तृत शर्ते व निर्धारित प्रपत्र जिले के वेबसाईट पर उपलब्ध है।
5. संबंधित जिला के निवासी पदाधिकारी को प्राथमिकता दी जायेगी।

ह0

जिला पदाधिकारी,
जमुई।

ज्ञापांक......................../वि0शा0, दिनांक......................../

प्रतिलिपिः–जिला सूचना एवं जन–सम्पर्क पदाधिकारी, जमुई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि दो स्थानीय समाचार पत्रों में इसका प्रकाशन कराना सुनिश्चित करेंगे।

ह0

जिला पदाधिकारी,
जमुई।

ज्ञापांक 25-1/7-1/5 /वि0शा0, दिनांक 27/7/17 /

प्रतिलिपिः–जिला सूचना एवं एवं विज्ञान पदाधिकारी, जमुई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेश दिया जाता है कि इसका प्रकाशन जिला के अधिकारिक वेवसाईट पर कराना सुनिश्चित करेंगे।

जिला पदाधिकारी,
जमुई।